International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 19-05-2022, Accepted: 03-06-2022, Published: 20-06-2022
Volume 8, Issue 3, 2022, Page No. 109-112

अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक परिदृश्य का एक अध्ययन

पारुल शर्मा[1], अलका रानी[2]
[1] शोधकर्त्री, समाज शास्त्र विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड, भारत
[2] शोध निर्देशका, समाज शास्त्र विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड, भारत

सांराश
भारतीय समाज में भी अन्य समाजों की तरह अनेक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्थायें; यथा– परिवार, विवाह, पंचायत, जाति और धर्म आदि हैं। परम्परागत भारतीय समाज में तो इन संस्थाओं का मानवीय जीवन में अत्याधिक महत्त्वपूर्ण योगदान था। किन्तु आधुनिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं के महत्त्व एवं उपयोगिता पर अनेक प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। फिर भी, समाज का एक वर्ग इन्हें आज भी उपयोगी समझता है तथा दूसरा वर्ग इन्हें अनुपयोगी समझता है।शोधार्थिनी ने प्रस्तुत अध्याय में इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार, विवाह, जाति, पंचायत एवं धर्म आदि के प्रति विचारों को प्रमुख रूप से जानने का प्रयास किया है।

मूल शब्दः बिंदुसार पिछड़ा वर्ग, विद्यार्थिया, परिवार, विवाह, जाति, पंचायत

प्रस्तावना
भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग है जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से शोषित एवं उपेक्षित रहा है। स्वतन्त्र भारत के संविधान निर्माताओं ने इस वर्ग का विशेष ध्यान रखा और उनके संरक्षण तथा विकास एवं उत्थान के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किये । अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकारी क्षेत्र में कुछ संशोधन किया है। केन्द्र सरकार ने मार्च 2017 में पछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की घोषणा की। इसके लिए 123 वॉ संविधान संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद अब सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के हित में काम करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर सोशल एण्ड एजुकेंशनली बैकवर्ड का गठन[9] किया जाएगा। इस फैसले से देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर वाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ना तय है। प्रस्तुत शोध कार्य में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्य सूची में अंकित अन्य–पिछड़े वर्ग की जातियों के य ुवक–युवतियों में है। (2) सामाजिक स्थिति– किसी भी समाज में सभी व्यक्तियो ं को मिलने वाले अधिकार और कर्त्तव्य एक जैसे नहीं होते। अन्य पिछड़े वर्ग के के विद्यार्थियों से परिवार के स्वरूप और परिवार नियोजन आदि के प्रति उनके विचारों को जानने की चेष्टा की गयी

अध्ययन क्षेत्र परिचय
जनपद हरिद्वार की स्थापना 28 दिसम्बर 1988 को हुई, तब यह जनपद उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल, 1997 को मेरठ मण्डल को विभाजित करते हुए सहारनपुर मण्डल का गठन करकेजनपद हरिद्वार को सहारनपुर मण्डल में शामिल कर दिया था। किन्तु 9 नवम्बर, 2000 को नवोदित राज्य उत्तरांचल के गठन के फलस्वरूप जनपद हरिद्वार को गढ़वाल मण्डल में शामिल कर दिया।

जनपद हरिद्वार का प्रशासनिक ढांचा
जनपद हरिद्वार में तीन तहसीलें– हरिद्वार, रुड़की तथा लक्सर हैं। हरिद्वार तहसील में केवल एक विकासखण्ड बहादराबादतहसील रुड़की तहसील के अन्तर्गत विकासखण्ड– भगवानपुर, नारसन एवं रूड़की तथा लक्सर तहसील के अन्तर्गत दो विकासखण्ड– लक्सर तथा खानपुर आते हैं।
जनपद हरिद्वार में नगर एवं नगर समूह 18 नगर निगम 2, नागरपालिका 3, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत 4 तथा सेन्सस टाउन 7 हैं।

जनपद हरिद्वार की जनसंख्या और उसका विवरण
जनगणना 2011 के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1890422 है। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 1142893 तथा नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 747529 है

जनपद हरिद्वार की सामाजिक संरचना
जनपद हरिद्वार में प्राचीनकाल से देश के विभिन्न राज्यों तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से लोग यहाँ आकर बसते रहे हैं। जनपद हरिद्वार में लोगों पर मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों की मिली–जुली संस्कृति का प्रभाव सामाजिक जीवन लक्षित होता है।
जनपद हरिद्वार के विभिन्न जातीय समाज में प्रारम्भ से ही संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी लेकिन धीरे–धीरे यह प्रथा टूटने लगी और वर्तमान में एकल परिवार की प्रथा विकसित हो रही है। क्षेत्र के निवासियों में पहले ऊँच–नीच का भेदभाव कुछ ज्यादा ही पाया जाता था किन्तु वर्तमान में यह भेदभाव निरन्तर कम होता जा रहा है।यह सर्वविदित है कि वर्तमान

समय में नगरीय क्षेत्र में तो विभिन्न जातियों के मध्य परस्पर खान–पान एवं शादी–ब्याह हो जाते हैं, किन्तु ग्रामीण अंचल में आज भी ऊँची–नीची जातियों के मध्य परस्पर खान–पान और वैवाहिक बन्धन का प्रायः परहेज है।हाँलाकि इस तरह का प्रचलन अब गाँवों में भी अपने कदम बढ़ा रहा है। जनपद हरिद्वार के विभिन्न जातीय समाज में खान–पान में भी भिन्नता पाई जाती है।

जनपद हरिद्वार के शहरों एवं कस्बों मेंआमतौर पर घर पक्के हैं जो सामान्यतया दो, तीन या चार मंजिल तक हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे, पक्के छोटे मकान और झोपड़ियाँ भी आसानी से देखी जा सकते हैं। जनपद हरिद्वार में भी नवीन परिस्थितियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप परम्परागत रुढ़िवादिता एवं अन्धविश्वासों का लोप होने लगा है तथा खान–पान सम्बन्धी मान्यताओं में परिवर्तन आ रहा है। वैवाहिक सम्बन्धों में अर्न्तजातीय विवाहों का प्रचलन भी अब देखा जा सकता है।

जनपद हरिद्वार की जातियाँ

जनपद हरिद्वार में सामान्य जातियों में मुख्यतः ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी खत्री, चौहान (राजपूत) तथा पिछड़ी जातियों में सैनी, गुर्जर एवं कश्यप जाति के लोग हैं। अनुसूचित जातियों में बाल्मिकी, जुलाहा (हिन्दू), खटीक एवं हरिजन (चमार) आदि प्रमुख हैं। मुसलमान इस क्षेत्र में बहुतायत में हैं तथा ईसाईयों की संख्या बहुत कम है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार कार्यालय में हरिद्वार जनपद में संचालित किये जा रहे कला , विज्ञानं, विधि, वाणिज्य शिक्षा संकायों में शिक्षा प्रदान कर रहे स्ववित्त पोषित महाविद्यालो की संख्या और सूचि ली गयी और लाटरी प्रणाली से कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं शिक्षा संकायों के दो–दो महाविद्यालयों का चयन किया। इन चयनित महाविद्यालयों में सत्र 2020–2021 में अध्ययनरत् के विद्यार्थियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई। इस सूची में से कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि तथा शिक्षा प्रत्येक संकाय से अन्य पिछड़े वर्ग के 40–40 विद्यार्थी लाटरी प्रणाली द्वारा चयनित किए हैं। इस प्रकार यह अध्ययन अन्य पिछड़े वर्ग के के कुल 200 विद्यार्थियों पर आधारित है।

उत्तरदाताओंकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत शोध में कुल 200 उत्तरदाताओं से सूचनाएँ संकलित की गई हैं। इन उत्तरदाताओं को जिन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है उसका विवरण निम्नलिखित है–

सारणी संख्या 1: उत्तरदाताओं के चयन को प्रदर्शित करने वाली सारणी

क्रम सं०	संकाय का नाम	चयनित महाविद्यालय का नाम		उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	कला	1.	फेरूपुर डिग्री कालेज, फेरूपुर	40	20.0
		2.	आशा देई डिग्री कालेज, भोगपुर		
2	विज्ञान	1.	विवेकानन्द कालेज आफ एजूकेशन, रूड़की	40	20.0
		2.	हरीशचन्द्र डिग्री कालेज, लक्सर		
3	वाणिज्य	1.	हिमालयन दून एकेडमी, भगवानपुर	40	20.0
		2.	बाबू राम डिग्री कालेज, सालियर		
4	विधि	1.	बी०एस०एम० लॉ कालेज, रूड़की	40	20.0
		2.	अमृत लॉ कालेज, धनौरी		
5	शिक्षा	1.	गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार	40	20.0
		2.	हर्ष विद्या मन्दिर, रायसी		
कुल योग				200	100.0

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 200 उत्तरदाताओं में से कला संकास में 40 (20.0 प्रतिशत), विज्ञान संकाय के 40 (20.0 प्रतिशत), वाणिज्य संकाय ने 40 (20.0 प्रतिशत), विधिा संकाय ने 40 (20.0 प्रतिशत) तथा शिक्षा संकाय के 40 (20.0 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार कार्यालय में हरिद्वार जनपद में संचालित किये जा रहे कला , विज्ञानं, विधि, वाणिज्य शिक्षा संकायों में शिक्षा प्रदान कर रहे स्ववित्त पोषित महाविद्यालो की संख्या और सूचि ली गयी और लाटरी प्रणाली से कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं शिक्षा संकायों के दो–दो महाविद्यालयों का चयन किया। इन चयनित महाविद्यालयों में सत्र 2020–2021 में अध्ययनरत् के विद्यार्थियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई। इस सूची में से कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि तथा शिक्षा प्रत्येक संकाय से अन्य पिछड़े वर्ग के 40–40 विद्यार्थी लाटरी प्रणाली द्वारा चयनित किए हैं। इस प्रकार यह अध्ययन अन्य पिछड़े वर्ग के के कुल 200 विद्यार्थियों पर आधारित है।

कुल 200 उत्तरदाताओं में से 100 (50.0 प्रतिशत)उत्तरदाता महिला हैं तथा 100 (50.0 प्रतिशत)उत्तरदाता पुरुष हैं। आयु के आधार पर उत्तरदाताओं को चार वर्गों में विभक्त किया गया है। 17 से 19 आयु वर्ग के 49 (24.5 प्रतिशत), 20 से 22 आयु वर्ग के 91 (45.5 प्रतिशत), 23 से 25 आयु वर्ग के 47 (23.5 प्रतिशत) तथा 26 से 28 आयु वर्ग के 13 (6.5 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं।

शोधार्थिनी ने उत्तरदाताओंसे यह जानने का प्रयास किया कि वे एकल परिवार और संयुक्त परिवार में से किस प्रकार के परिवार को अच्छा समझते हैं? प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कुल 200 उत्तरदाताओं में से 157 (78.5 प्रतिशत)उत्तरदाता एकल परिवार को अच्छा समझते हैं,जबकि शेष 43 (21.5प्रतिशत)उत्तरदाता संयुक्त परिवार को अच्छा मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कुल 100 उत्तरदाताओं में 71 (71.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि एकल परिवार अच्छा है,शेष 29 (29.0 प्रतिशत)उत्तरदाता संयुक्त परिवार को अच्छा मानते हैं। नगरीय क्षेत्र के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 86 (86.0 प्रतिशत)उत्तरदाता एकल परिवार को अच्छा मानते हैं,

जबकि शेष 14 (14.0प्रतिशत) उत्तरदातासंयुक्त परिवार को अच्छा मानते हैं। कुल 200 उत्तरदाताओं में से 91 (45. 5प्रतिशत) उत्तरदाता विवाह को धार्मिक संस्कार, 39 (19.5प्रतिशत) उत्तरदाता विवाह को सामाजिक समझौता तथा 70 (35. 0प्रतिशत) उत्तरदाता विवाह को प्रेम बन्धन मानते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि अधिकांश 91 (45.5प्रतिशत) उत्तरदाता विवाह को धार्मिक संस्कार मानते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 70 (70.0प्रतिशत) उत्तरदाता विवाह को धार्मिक संस्कार, 11(11.0प्रतिशत) उत्तरदाता सामाजिक समझौता तथा 19 (19.0प्रतिशत) उत्तरदाता प्रेम बन्धन मानते हैं। नगरीय क्षेत्र के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 21 (21.0प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि विवाह धार्मिक संस्कार है, 28 (28.0प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि विवाह सामाजिक समझौता है तथा 51 (51.0 प्रतिशत)उत्तरदाताओंका मत है कि विवाह प्रेम बन्धन है।

दहेज प्रथा के प्रति विचार जानने पर स्पष्ट होता है कि कुल 200 उत्तरदाताओं में से 59 (29.5 प्रतिशत)उत्तरदाता दहेज प्रथा के पक्ष में हैं, जबकि शेष 141 (70.5प्रतिशत) उत्तरदाता दहेज प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। अतः स्पष्ट होता है कि अधिकांश 141 (70.5 प्रतिशत) उत्तरदाता दहेज प्रथा के पक्ष में नहीं हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी तथा सामाजिक परिदृश्य

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं से परिवार के स्वरूप के प्रति उनके विचार जानने का जो प्रयत्न हुआ, उससे यह बात उभर कर आती है कि अधिकांश 157(78.5 प्रतिशत)उत्तरदाता एकल परिवार को अच्छा मानते हैं। परिवार के स्वरूप के प्रति उनके विचारों को निवास स्थान के साथ संयुक्त करने पर स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के तथा नगरीय क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताएकल परिवार को अच्छा मानते हैं।

दहेज प्रथा के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 141(70.5 प्रतिशत)उत्तरदाता दहेज प्रथा के पक्ष में नहीं है। दहेज प्रथा के प्रति उत्तरदाताओं के विचारों को उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत करने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के उत्तरदाता दहेज प्रथा के पक्ष में नहीं है। जो उत्तरदाता दहेज प्रथा के पक्ष में हैं, उनमें अधिकांश उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं।

अधिकांश 105 (52.5 प्रतिशत)उत्तरदाताओं ने अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में मत व्यक्त किया है। यदि इसे ग्रामीण एवं नगरीय दृष्टि से देखें तो नगरीय क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाता अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के उत्तरदाताओं का एक वर्ग अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं है।

वर्तमान अध्ययन से एक और तथ्य सामने आया है। अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकांश 111 (55.5प्रतिशत)उत्तरदाता अक्सर अथवा कभी–कभी उच्च जातियों के यहाँ आते–जाते हैं तथा भोजन भी साथ–साथ करते हैं, जबकि उनके एक वर्ग 89 (44.5प्रतिशत) का उच्च जातियों के यहाँ आना–जाना नहीं होता है। उच्च जातियों के यहाँ सामाजिक उत्सवों एवं समारोहों आदि में आने–जाने तथा साथ–साथ भोजन करने वालों की श्रेणी में आने वाले अधिकांश उत्तरदाता नगरीय हैं, जबकि ग्रामीण उत्तरदाता कभी–कभी ही इनमें सम्मिलित होते हैं।

उत्तरदाताओं का अपने से निम्न जातियों के यहाँ सामाजिक उत्सवों और समारोहों में आने–जाने तथा साथ–साथ भोजन करने के संदर्भ में यह तथ्य उभरता है कि अधिकांश 144(72.0प्रतिशत)उत्तरदाता अक्सर अथवा कभी–कभी ऐसा करते हैं। अपने से निम्न जातियों के यहाँ सामाजिक उत्सवों एवं समारोहों में आने–जाने तथा साथ–साथ भोजन करने के प्रति उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों को उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत करने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश नगरीय क्षेत्र के ही उत्तरदाता अपने से निम्न जाति के व्यक्तियों के यहाँ सामाजिक उत्सवों एवं समारोहों में आते–जाते हैं तथा साथ–साथ भोजन करते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं का अपने से निम्न जातियों के यहाँ आना जाना नहीं होता और न ही वे उनके साथ–साथ भोजन ही करते हैं।

जाति पंचायत के निर्णयों के प्रति उत्तरदाताओं के विचारों को जानने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश103(51.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का विचार है कि ये निर्णय अक्सर निष्पक्ष होते हैं। इन निर्णयों के प्रति उत्तरदाताओं के विचारों को उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत करने पर स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं की मान्यता है कि ये निर्णय अक्सर निष्पक्ष होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र के उत्तरदाता इन्हें कभी भी निष्पक्ष नहीं मानते हैं।

अधिकांश 73 (36.5 प्रतिशत) उत्तरदाता जाति व्यवस्था को कानून द्वारा समाप्त किया जाना आवश्यक समझते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के उत्तरदाताओं का एक वर्ग जाति व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यता महसूस नहीं करता है।

अधिकांश 89 (44.5 प्रतिशत)उत्तरदाताओं के अनुसार धर्म राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, यह बात भी अध्ययन से स्पष्ट होती है। अधिकांश उत्तरदाता धर्म को राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक तथा धर्म से अन्धविश्वास बढ़ता है, अतः वे धर्म में आस्था नहीं रखते हैं।

धर्म परिवर्तन के लिएअधिकांश 93 (46.5 प्रतिशत) उत्तरदाता प्रमुख रूप से अ अन्य पिछड़े वर्ग के साथ उच्च जाति के व्यक्तियों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा हिन्दू समाज के परम्परागत नियमों को उत्तरदायी मानते हैं। ऐसा मानने वालों में अधिकांश नगरीय क्षेत्र के तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनों के हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत की जनगणना 2011, उत्तराखण्ड श्रंखला 6 (2015): जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड।

2. चौहान, बी0आर0 (1955): "रिसेन्ट ट्रेन्ड्स एमंग डिप्रेस्ड क्लासेज इन राजथान", आगरा यूनिवर्सिटी जनरल ऑफ रिसर्च, वाल्यूम
3. भारत का संविधान (1998): सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
4. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण (2006) : मानव समाज एवं समाजशास्त्रीय अवधारणऍ, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यटूर्स, आगरा।
5. लियोन्तियोव, एम0 (1974): राजनितिक अर्थशास्त्र, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0, नई दिल्ली।
6. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार विनारक अधिनियम–1989, नई दिल्ली, भारत सरकार।
7. अम्बाराव, यू० (1976) : हायर एजूकेशन एण्ड ओक्यूपेशनल मोबिलीटी अमंग दा शेड्यूल्ड कास्ट यूथ, *जर्नल आफ हायर एजूकेशन, (वाल्यूम 6, नं० 1–3)*, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
8. अलैग्जैण्डर, के०सी० (1968) : चेंजिंग स्टेटस आफ पुलिया हरिजन्स आफ केरला, दिल्ली, *इकनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, (वाल्यूम 3)*, बम्बई, समीक्षा ट्रस्ट।
9. गांधी, महात्मा (19 जनवरी, 1921) : नवजीवन, समाचार पत्र, नई दिल्ली, दा एसोशिएटेड जरनल लिमिटेड।
10. गांधी, महात्मा (4 मई, 1921) : यंग इण्डिया,समाचार पत्र, नई दिल्ली, दा एसोशिएटेड जरनल लिमिटेड।